617515196

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc.)/Dearness Relief/ 01 **Dated: 07/04/2017**

LID-SSADR Dy.- Nil /

To,

The Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad. 500004
....
....

Subject:- Implementation of Govt. decision of 7th CPC revision of Pension / Family Pension.

I am forwarding herewith copy of Order:-
No. 39/2016-Sa-3-921/X-2016/308/2016 dt. 23/12/2016 reg. Implementation of Govt. decision of 7th CPC revision of Pension / Family Pension to U.P.Government w.e.f 01-01-2016, for necessary action please.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनॉक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनॉक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत

http://shasanadesh.up.nic.in

उसकी पुनरीक्षित पेंशन रू0 12600/- निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक के आधार पर उसकी पेंशन रू0 32,382/- निर्धारित होगी।

5- पुनरीक्षित पेंशन में राशिकृत धनराशि, यदि कोई है, भी सम्मिलित होगी। राशिकृत धनराशि को काटते हुए, जो धनराशि आयेगी, उसके अनुसार मासिक पेंशन दी जायेगी।

6- दिनॉक 01-01-2016 से न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 9000/- होगी। (80 वर्ष से अधिक आयु के पेशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की उच्च सीमा राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन की क्रमश: 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होगी।

6(1)- वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार मिलना जारी रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	**पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि**
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। **उदाहरणार्थ** यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन

http://shasanadesh.up.nic.in

वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षो में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

12- राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम पेंशन का निर्धारण संबंधित कोषागार द्वारा वित्त विभाग के स्तर से निर्गत किये गये शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा। यह व्यवस्था सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके पेंशनरों को सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है, तथा जिनका भुगतान कोषागारों के द्वारा किया जा रहा है, पर लागू होगी। इन संस्थाओं के कर्मचारियों के अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश किये जाने होंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-39/2016-सा-3-923(1)/दस-2016/308/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, [illegible]

http://shasanadesh.up.nic.in